



32

आर.ई.ओ.-130

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 3218 जोधपुर, दिनांक 24/2/07

आदेश


विषय :- अलंकृत सैनिकों को कृषि कनेक्शन हेतु तुरन्त प्राथमिकता बाबत।

\*\*\*\*\*

समन्वय समिति की दिनांक 17 व 18 जनवरी 2007 को आयोजित 100 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शौर्य चक्र, अशोकचक्र एवं वीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को भी कृषि कनेक्शन में तुरन्त प्राथमिकता दी जावे। यह प्राथमिकता अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा/पुत्र/पुत्री के नाम जमीन नहीं हो तो उसके माता/पिता को सम्बन्धित सैनिक/अर्द्ध सैनिक संस्था से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर एक विद्युत कनेक्शन के लिये दी जायेगी।

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या. (7) (iv) में अतिरिक्त प्रावधान करते हुए (7) (iv) (स) किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

  
[एम.एल.त्रिपाठी]  
अधीक्षक अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।